दिनांक 04 एवं 07–जून, 2019 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 1469/110/तीन/97–VII दिनांक 29–05–2019, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 04 व 07–जून,2019 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, सी0एल0टी0सी0 एवं शहर मिशन प्रबन्धकों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं– प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

सर्वप्रथम समीक्षा बैठक में अभिकरण मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किये बिना परियोजना अधिकारी, डूडा–हाथरस, सीतापुर एवं शामली के बैठक में अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त करने निर्देश दिये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 2.50 लाख आवासों को दिनांक 30.06.2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों एवं डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 को निर्देश दिये गये कि BLC(New) के अन्तर्गत माह–जून,2019 के अन्तिम सप्ताह में संभावित सी.एस.एम.सी. बैठक में स्वीकृति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एक सप्ताह में नई डी0पी0आर0 तैयार कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में सभी परियोजना अधिकारियों को उनके जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य से भी अवगत कराया गया।
3. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो ने जनपद स्तर से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नही किये है वे तीन दिवस में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत जो भुगतान Payment By Higher Agency के माध्यम से किया गया है उसका प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए एक सप्ताह में मूल–प्रति मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सप्ताह के अन्त में यू0सी0/प्रमाण–पत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जायें।
4. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में जियोटैग की संख्या एवं अन्तरित धनराशि के लाभार्थियों की संख्या में अधिक अन्तर है वे एक सप्ताह में पात्र/अपात्र लाभार्थियों की जांच कराते हुये धनराशि अन्तरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जियोटैग के पूर्व पात्र/अपात्र की जांच अवश्य करा ली जाए।
5. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ऐसे जनपद जहाँ आवासों की प्रगति खराब है एवं स्थानीय स्तर पर संस्था का कार्य संतोषजनक नही है वहाँ मुख्यालय से टीम गठित कर सम्बन्धित जनपदों में भेज कर जाँच करा कर समस्याओं का निराकरण किया जाये।
6. समीक्षा बैठक में जनपद– कन्नौज, चित्रकूट, फरूखाबाद, बलिया, बलरामपुर, बहराइच, शामली, सुल्तानपुर के सी0एल0टी0सी0 को एक सप्ताह में कार्य में सुधार लाने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
7. जनपद–गाजीपुर में योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लाने के दृष्टिगत परियोजना अधिकारी, सी.एल.टी.सी. को नोटिस जारी करने तथा मुख्यालय से एक टीम भेजकर समस्या का निराकरण कराने के निर्देश भी दिये गये।
8. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 कन्सलटेंट सम्बन्धित जनपदों में परियोजना अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त स्टाफ लगायें ताकि लक्ष्यों की पूर्ति ससमय की जा सके।
9. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि उनके जनपद में चयनित कार्यदायी संस्था ठीक प्रकार से कार्य नही कर पा रही है तो उसे जिलाधिकारी की अनुमति से तत्काल हटाकर अन्य संस्था का चयन किया जा सकता है जिससे कि योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लायी जा सके।

10. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निरन्तर अनुश्रवण मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये।
11. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
12. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
13. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मॉडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0 /सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
14. सभी परियोजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिकता के आधार पर जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि एवं जहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है वहॉ तृतीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही एक सप्ताह में सुनिश्चित करें।
15. प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)अवार्ड–2019 हेतु चयनित जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने जनपद में निर्मित आवासों के एच0डी0 फोटोग्राफ, व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कन्वर्जेन्स का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
16. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पी0एम0ए0वाई0(यू0) अवार्ड–2019 हेतु सूडा द्वारा निर्गत पत्र संख्या–1782 दिनॉक–06.6.2019 के कम में अपने जनपद की प्रत्येक निकाय के तीन–तीन अच्छे/उच्च गुणवत्ता पूर्ण आवासों के एच0डी0 फोटोग्राफ्स तैयार कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगें तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित 05 से 10 एच0डी0 फोटोग्राफ्स तैयार कर साफ्ट् एवं हार्ड कॉपी में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराए जायेगे।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत समीक्षा में पाया गया कि विगत दो माहों में स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रगति अत्यन्त धीमी रही है, गठित स्वयं सहायता समूहों को धनराशि उपलब्धता के उपरान्त भी अधिकांश जनपदों द्वारा रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त नहीं किया गया है। उक्त के साथ ही घटक के अन्तर्गत किसी भी गतिविधि की प्रगति सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के साथ एस0एच0जी0 गठन, ए0एल0एफ0, सी0एल0सी0 गठन, एस0एच0जी0 प्रशिक्षण आदि का कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिये गये।

इस प्रकार माह जून, 2019 में वित्तीय वर्ष का प्रथम त्रैमास पूर्ण होने पर त्रैमासिक अन्तिम लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूहों एवं ए0एल0एफ0 को रिवाल्विंग फण्ड की विगत वर्षों से निरन्तर धीमी प्रगति पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकरियों द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है तथा प्रदेश की रैकिंग भी निरन्तर गिर रही है, जिसे तत्काल सुधारे जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अर्ह एस0एच0जी0/ए0एल0एफ0 को तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को सम्बद्ध किया जाये। आय सृजनात्मक कार्य कर रहे समूहों को विवरण पूर्व में भेजे गये प्रपत्रों पर वरीयता के क्रम में (सबसे अच्छे कार्य करने वाले SHG को सबसे ऊपर तथा तदानुसार उसी क्रम में) तैयार कर प्रत्येक दशा में एस0यू0एल0एम0, सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में निरन्तर दिये जा रहे निर्देशों के उपरान्त भी अनुपालन न किये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल RF अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों (CLC) की प्रगति में पाया गया कि अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से संचालित सी0एल0सी0 को अब तक आत्म निर्भर हो जाना चाहिए था परन्तु CLC का संचालन गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में किये जाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए सी0एल0सी0 को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म

निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत कर उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 को Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाये। GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु तकनीकी सहायता सी0एम0एम0यू0 लखनऊ एवं कानपुर से ली जा सकती है।

SUH-

1. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत सूडा द्वारा निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त तृतीय किश्त के सापेक्ष अधिकांश शहरों से अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल सी0एण्ड डी0एस0 से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रत्येक दशा में जून, 2019 के अन्तिम सप्ताह तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2. प्रकरण में विगत दिनांक 13.11.2018 एवं दिनांक 05.12.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शहर में रह रहे सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। जिसके दृष्टिगत शहर में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार भूमि चिन्हित कर के शेल्टर निर्माण की DPR स्वीकृत हेतु भेजी जाये। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये। अद्यतन अधिकांश शहरों द्वारा अपेक्षित संख्या में भूमि चिन्हीकरण की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रकरण की सघन समीक्षा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 113 नये/उच्चीकरण शेल्टर होम निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष कानपुर नगर (21), गोरखपुर (16), वाराणसी (26), प्रयागराज (11), मुरादाबाद (11), लखनऊ (31) एवं मथुरा (8) में भूमि चिन्हांकन किया जाना है, परन्तु स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। इन शहरों में अद्यतन चिन्हित भूमि के उपरान्त भी अभी 124 शेल्टर होम हेतु भूमि चिन्हित की जानी है। जिसके दृष्टिगत इन शहरों को विशेष प्रयास कर अपेक्षित संख्या में भूमि आवंटन के अभिलेख उपलब्ध कराना आवश्यक है। उक्त के साथ ही अन्य शहरों को भी जहॉ 25 अथवा उससे अधिक संख्या में शहरी बेघर थर्ड पार्टी में चिन्हित हुए है, उनको भी थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार औसतन 50 व्यक्तियों की क्षमता के शेल्टर निर्माण के अनुसार अपेक्षित संख्या में भूमि चिन्हित कर अभिलेख उपलब्ध कराना आवश्यक है। 50 व्यक्तियों हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि तथा 100 व्यक्तियों हेतु 800 वर्ग मीटर भूमि चिन्हीकरण गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है। सभी जनपद/शहरों को थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक दशा में भूमि चिन्हीकरण कराकर जून, 2019 में भूमि आवंटन के अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
3. DAY-NULM के निर्माणाधीन शेल्टर्स पर शीघ्र अति शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये तथा निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर्स को C&DS से नगरीय निकायों को तत्काल हस्तगत कराते हुए चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाये। सी0एण्ड डी0एस0 से प्राप्त मार्च, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सिकरौल–वाराणसी, इटावा, भिन्गा–श्रावस्ती एवं भदोही में शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अद्यतन शेल्टर होम संचालित न किया जाना चिन्ताजनक है। निर्देश दिये गये कि सी0एण्ड डी0एस0 प्रतिनिधि तत्काल उक्त निर्माण कार्य पूर्ण शेल्टर होम में स्थलीय स्तर पर इंगित कमियों का निराकरण कराकर एक सप्ताह में उक्त सभी शेल्टर होम को नगरीय निकायों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। सी0एम0एम0यू0–डूडा हस्तगत में सहयोग कर ससमय कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रत्येक दशा में उल्लिखित सभी शेल्टर्स का संचालन चयनित संस्थाओं के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें।
4. संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल GoI के MIS पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपलोड किया जाये। MIS पोर्टल पर DAY-NULM एवं Non DAY-NULM के सभी संचालित शेल्टर होम की प्रोफाइल तत्काल अपलोड कर दी जाये तथा स्क्रीन शॉट एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाये।
5. शहर में संचालित सभी प्रकार के शेल्टर होम में रुकने वाले बेघरों की प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रारुप पर 12 बजे अपराहन तक सूडा उ0प्र0 को suhnulmup@gmail.com पर प्रत्येक दशा में रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा निर्देश दिये गये कि दैनिक रुकने वाले व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराये गये google drive पर अपलोड की जाये।

EST&P-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये प्रशिक्षण के सेवायोजन एवं ट्रैकिंग के संबंध में:–

प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट किये गये सभी लाभार्थियों का सेवायोजन एवं सुचारू रूप से ट्रैकिंग करने के संबंध में नियमानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जाये एवं संबंधित प्रपत्र की हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2015–16 मे किये गये प्रशिक्षण के सापेक्ष द्वितीय किश्त माह नवम्बर, 2018 में जारी की गयी धनराशि को कई शहरों द्वारा अभी तक नियमानुसार व्यय नहीं किया गया है। शहरों को निर्देशित किया जाता है शीघ्र ही नियमानुसार धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM /तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। उल्लेखनीय है कि शहरों को EST&P के अन्तर्गत जारी की गयी धनराशि में ही असेसमेन्ट लागत सम्मिलित है। अतः उक्त प्रकरण की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुए असेसिंग बॉडीस के लम्बित समस्त भुगतानों को यथाशीघ्र अवमुक्त किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष कौशल प्रशिक्षण की द्वितीय एवं तृतीय किश्तों के भुगतान हेतु एन0एस0डी0सी0 द्वारा संबंधित शहरों को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। अभिकरण के पत्रांक–3624/241/NULM/Teen/2001(NSDC) दिनांक 24.09.2018 द्वारा उक्त के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल रुप से एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है। एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं हेतु 10.08.2018 को प्रथम 30 प्रतिशत किश्त के भुगतान हेतु संबंधित शहरों को धनराशि जारी की जा चुकी है। शहर यथा चित्रकूट, इटावा, फैजाबाद एवं हरदोई को निर्देशित है कि नियमानुसार एन0एस0डी0सी0 पार्टनर को प्रथम किश्त अवमुक्त करें ताकि एसेसमेन्ट प्रक्रिया प्रारम्भ हो ताकि प्रशिक्षार्थियों को सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षार्थियों के असेसमेन्ट के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की असेसमेन्ट प्रक्रिया में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार ई0एस0टी0पी0 एम0आई0एस0 पर सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रुप से बैच क्लोज किये जाये। तत्पश्चात् बैच असेसमेन्ट हेतु स्किल इण्डिया पोर्टल पर माइग्रेट हो जायेगा। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण समाप्त हुए बैचों को एम0आई0एस0 पर क्लोज करायें। भारत सरकार द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले असेसमेन्ट दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही की जायेगी।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है

जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है और शासन स्तर पर उक्त कार्यों की अति धीमी प्रगति पर निरन्तर असन्तोष व्यक्त किया जा रहा है। शहरवार अद्यतन प्रगति निम्नवत है:–

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सहारनपुर	25	**8124**	4124	2000	1000	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • 162 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 52.34 लाख की परियोजना स्वीकृत एवं 16.08.18 को धनराशि अवमुक्त, विवाद के कारण कार्य अनारम्भ, अन्य परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
2	झांसी	5	**7638**	885	--	166	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
3	मेरठ	30	**18250**	810	575	--	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • 100 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 22.22 लाख की परियोजना स्वीकृत एवं 16.08.18 को धनराशि अवमुक्त, कार्य अभी तक प्रारम्भ नही हुआ
4	वाराणसी	29	**24472**	250	250	250	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • 100 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 26.84 लाख की परियोजना स्वीकृत एवं 16.08.18 को धनराशि अवमुक्त, कार्य प्रारम्भ प्रगति में, द्वितीय किश्त का प्रस्ताव अप्राप्त
5	फिरोजाबाद	15	**9500**	1268	1268	1264	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
6	लखनऊ	266	**25609**	10000	--	--	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • 378 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 186.87 लाख की परियोजना स्वीकृत, द्वितीय किश्त जारी, कार्य प्रारम्भ प्रगति में
7	कानपुर	132	**14494**	10480	25	166	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
8	अलीगढ़	30	**5470**	1877	--	450	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
9	गोरखपुर	244	**7888**	7888	–	70	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
10	प्रयागराज	25	**13800**	13800	42	42	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • 42 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 19.38 लाख की परियोजना स्वीकृत, 08.03.19 को धनराशि अवमुक्त परन्तु कार्य अनारम्भ
11	गाजियाबाद	4	**23262**	16000	7000	7000	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
12	मुरादाबाद	15	**8750**	938	659	659	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
13	आगरा	18	**20067**	4010	2307	1106	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							अप्राप्त • 76 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 40.33 लाख की परियोजना स्वीकृत, 08.03.19 को धनराशि अवमुक्त परन्तु कार्य अनारम्भ
14	बरेली	24	**6410**	1178	909	664	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
15	अयोध्या	25	**2605**	2605	10	10	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त • विवाद निवारण कमेटी का गठन नही हुआ है
16	मथुरावृदांवन	5	**6668**	--	--	--	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
17	शांहजहांपुर	12	**2447**	1040	500	500	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त • 84 पथ विक्रेताओं हेतु मॉडल वेडिंग जोन की 18.03 लाख की परियोजना स्वीकृत, 08.03.19 को धनराशि अवमुक्त परन्तु कार्य अनारम्भ
18	मुजफ्फरनगर	25	**1497**	1497	--	--	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
19	मऊ	15	**2398**	480	225	225	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	लोनी	4	**6468**	1872	1402	1402	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
21	बुलन्दशहर	10	**1385**	1331	400	200	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
22	हापुड़	17	**4489**	307	307	307	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
23	उन्नाव	8	**2804**	128	15	10	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित परन्तु मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
24	मिर्जापुर	21	**2657**	900	322	500	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
25	हरदोई	19	**2707**	68	68	68	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
26	फतेहपुर	11	**1853**	--	–	–	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त • विवाद निवारण कमेटी का गठन नही हुआ है
27	उरई	7	**2179**	1000	1000	580	• TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित एवं मुख्यालय को प्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
28	अमरोहा	4	**4553**	200	200	200	• एजेन्सी को भुगतान नही प्राप्त होने के कारण शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार होने में विलम्ब

क्र. सं.	निकाय का नाम	विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन	पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूर्ण	पथ विक्रेताओं का पंजीकरण	पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र वितरण	पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र वितरण	शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना के संबंध में स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							• मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
29	जौनपुर	1	**2382**	225	--	--	• ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित नही हुआ है • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
30	सम्भल	9	**950**	--	--	--	• TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त • मॉडल वेडिंग जोन की परियोजना मुख्यालय को अप्राप्त
31	मैनपुरी	5	**658**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
32	हाथरस	2	**678**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
33	रामपुर	22	**1568**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
34	शामली	4	**412**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
35	चंदौसी	5	**576**	--	--	--	TVC से अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को अप्राप्त
36	बडौत	12	**439**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
37	खुर्जा	4	**409**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
38	मोदीनगर	-	**1954**	1954	--	--	विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
39	शिकोहाबाद	9	**1322**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
40	एटा	8	**870**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ
41	कासगंज	4	**1004**	--	--	--	पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र, परिचय पत्र वितरण अनारम्भ

अतः उक्त अत्यन्त धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए शहरी पथ विक्रेता प्लान, शहरी पथ विक्रेताओं के पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं आई कार्ड जारी किये जाने हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया

जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज एवं शाहजहाँपुर हेतु स्वीकृत विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) के सापेक्ष लखनऊ एवं वाराणसी में कार्य प्रगति में है, लखनऊ द्वारा द्वितीय किश्त प्राप्त की जा चुकी है परन्तु वाराणसी द्वारा द्वितीय किश्त का प्रस्ताव अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस पर वाराणसी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही द्वितीय किश्त का प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

अगस्त, 2018 में मेरठ को जारी प्रथम किश्त के सापेक्ष मेरठ द्वारा अभी भी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है, जिसपर सख्त निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

अगस्त, 2018 में सहारनपुर को जारी प्रथम किश्त के सापेक्ष स्थल विवाद के कारण कार्य नहीं प्रारम्भ किया जा सका है, जिसपर सहानपुर को निर्देशित किया गया कि प्रथम किश्त की धनराशि यथा शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

मार्च, 2019 में आगरा, प्रयागराज एवं शाहजहाँपुर को जारी प्रथम किश्त के सापेक्ष कार्य नहीं प्रारम्भ होने के दृष्टिगत उक्त शहरों को निर्देशित किया गया कि यथा शीघ्र धनराशि कार्यदायी संस्था (संबंधित नागर निकाय) को उपलब्ध कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 10 शहरों यथा देवरिया, मुगलसराय, बस्ती, सुलतानपुर, बहराइच एवं आजमगढ़ में सर्वे प्रारम्भ हो गया है, गाजीपुर, बलिया, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर) में कार्यादेश एवं अनुबन्ध किये जाने की कार्यवही प्रक्रियाधीन है। इन शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही कार्यादेश एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक सप्ताह के अन्दर सर्वे कार्य प्रारम्भ करवायें।

09 शहरों बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर हेतु चयनित संस्था द्वारा कार्य न किये जाने की असमर्थता के कारण उक्त शहरों हेतु नवीन संस्था के चयन के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई काडे) जारी किये जाने के सम्बन्ध में:–

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06. 2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये। शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है जिसके संबंध में शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अतः एस0यू0एस0वी0 के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेता हेतु किये जा रहे कार्यो वाले समी 30 शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में समी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई काडे) जारी कराया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किये जाने वाल कार्य:–

शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार नियम–4 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, नियम–5 के अनुसार पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नियम–10 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना, नियम–6(थ) के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना, नियम– 25(1) के अनुसार पथ विक्रेताओं की शिकायतों

का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन, नियम–15 के अनुसार विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन, नियम–12 के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, नियम–13 के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2), नियम–14 के अुनसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3), नियम–22 के अनुसार पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के पत्रांक–1134/241/NULM/Teen /2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर) एवं नियम–6(छ) के अनुसार पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना आदि कार्य किये जाने है।

एस0यू0एस0वी0 घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चयनित 30 शहरों (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल, जौनपुर) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 30 अन्य शहर यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया में उपरोक्त समस्त कार्यों को नियमावली 2017 के अनुरुप किया जाना है।

उपरोक्त सभी 60 शहरों में शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्य किये जाने है जिसके संबंध में सी0एम0एम0यू0–डूडा द्वारा संबंधित नगर निकाय से समन्वय करते हुए उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विक्रेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार कर रही एजेन्सियों को भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र के साथ शहरी पथ विक्रेताओं की सूची (आधार एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रस्तुत की जाये।

<u>SEP-I, SEP-G & SHG- Bank Linkages –</u> DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I & G) एवं स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के अन्तर्गत निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्देशित किंया गया है कि प्रत्येक दशा में माह जून, 2019 तक लक्ष्यों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ नगरीय निकायों को आवंटित वार्षिक लक्ष्य में से कम से कम 25 प्रतिशत लक्ष्य शहरी विक्रेताओं हेतु एवं 25 प्रतिशत लक्ष्य कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों हेतु आरक्षित करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

<u>CB&T–</u> DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये हैः–

- जनपद कन्नौज की सुश्री अनुपमा व्यास, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा दो दिन से ज्यादा कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण माह मई, 2019 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही अनुपस्थित रहने के कारण इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश भी दिये गये है।

- जनपद औरैया की सुश्री अनीता, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किये जाने के कारण इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद बलरामपुर की डा0 आरिफा खातून, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा कार्यरत सामुदायिक आयोजक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है जोकि अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद अम्बेडकर नगर के श्री जितेन्द्र प्रताप त्रिपाठी, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा द्वारा DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजनान्तर्गत अपेक्षित प्रगति न होने के कारण इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- समस्त जनपदों के शहर मिशन प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी Live Location प्रातः 10:00 से 10:30 तक के बीच में प्रत्येक दिन WhatsApp पर अवश्य भेजे अन्यथा न भेजने पर उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।

<u>बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–</u>

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

<u>राजीव आवास योजना–</u>

राजीव आवास योजनान्तर्गत सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि निर्माणकार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

<u>आसरा योजना–</u>

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही प्रत्येक सप्ताह में आवासों के आवंटन की सूचना से भी मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है वे एक सप्ताह में जनपद स्तर पर लम्बित पुनरीक्षित मूल्यवृद्वि की डी0पी0आर0 एवं अन्य आवश्यक अभिलेख तैयार करा कर आगामी अनुपूरक बजट हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना</u>

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर पर तैयार कराये गये प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अवश्य अनुमोदित कराया जाय तथा जो प्रस्ताव बिना शासी निकाय के अनुमोदन के प्रेषित किये गये है उनमें भी शासी निकाय के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनराशि अवमुक्त की गयी है वे द्वितीय किश्त की प्राप्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम–2005</u>

परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण जनपद स्तर से जनसूचना अधिकारी के द्वारा समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

3– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

4– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

5– निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जनपद में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का विवरण एक पंजिका में कमबद्व तरीके से अभिलेखीय साक्ष्य के निमित्त सूचीबद्व किया जाना अपरिहार्य है। अन्य विभाग की सूचना वांछित होने के दृष्टिगत समयबद्ध अन्तरण की प्रकिया बाध्यकारी है। आवदेन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने का कारण दर्शाकर कार्यवाही न किया जाना अनुचित, इस स्थिति में भी आवेदन को भी सूचना उपलब्ध करायी जाय।

6– सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा से संबंधित विधायी प्रकरणों तथा संवैधानिक नियमों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर समयान्तर्गत अपने जनपद के जिलाधिकारी/अध्यक्ष अथवा परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

<u>जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)–</u>

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत जनपद – मेरठ,सोनभद्र, मुरादाबाद, हरदोई, कानपुर नगर, कुशीनगर, श्रावस्ती, फिरोजाबाद, आगरा, बरेली, हमीरपुर के परियोजना अधिकारियों को मुख्यमंत्री सन्दर्भ/जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराते हुये उन्हें तीन दिवस में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री संदर्भ जिलाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 2223 /110/तीन/97 Vol-VII दिनांक– 19/06/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक